कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड
छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक/संरक्षण–2/15 रायपुर, दिनांक 4/1/2008

प्रति,

1. समस्त वन संरक्षक,
2. समस्त वन मंडलाधिकारी, क्षेत्रीय एवं अनुसंधान विस्तार
3. व.मं.अ.,वन प्रबंधन सूचना प्रणाली, वन मंडल रायपुर

छत्तीसगढ़

विषय:—वनों में अग्नि रोकथाम बाबत् मार्गदर्शी सिद्धान्त।

संदर्भ:—मुख्यालय का पत्र क्रमांक/संरक्षण/07/1919 दिनांक29/11/2007

—: :—

वनों में अग्नि सुरक्षा कार्य प्रांरभ एवं नियंत्रण करने के लिए चार चरणों में कार्यवाही करने बाबत् निर्देश आपको संदर्भित पत्र द्वारा दिए जा चुके हैं। प्रत्येक चरण पर कार्यवाही सुनिश्चित् करें तथा पालन प्रतिवेदन 15/07/2008 के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित् करें। त्वरित संदर्भ हेतु इन दिशा निर्देशों को पुनः दोहराया जा रहा है। वनों को अग्नि से सुरक्षित रखने के लिये विभिन्न कार्यों का क्रियान्वयन दिनांक 01 दिसम्बर 2007 के पूर्व प्रारंभ किया जाना है। इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जा रहा है कि आप सुनिश्चित करें कि समूचे वनमंडल में दिनांक 01 दिसम्बर 2007 से पूर्व प्रथम चरण के कार्य, अर्थात लाईन कटाई एवं जलाई कार्य अवश्य प्रारंभ हो जाये। कार्य प्रारंभ करते समय निम्नलिखित कार्यवाही भी की जावे :—

(i) वनों में अग्नि सुरक्षा कार्य प्रारंभ होने के पूर्व विभिन्न मीडिया माध्यमों से पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाये कि वनों को अग्नि से सुरक्षित रखने हेतु कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। मीडिया को स्वीकृत लाईन कटाई की जानकारी तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय की जानकारी भी दी जाये।

(ii) वनसंरक्षक तथा वनमंडलाधिकारी स्वतः किसी एक स्थल पर अग्नि सुरक्षा कार्यों का प्रारंभ स्वयं करें तथा इस कार्यक्रम में जन प्रतिनिधि तथा मीडिया को भी आमंत्रित किया जाये जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि हो सके कि वनों को अग्नि से सुरक्षित रखने हेतु क्या कार्यवाही की जाती है।

(iii) दिनांक 01 दिसम्बर 2007 वन अग्नि सुरक्षा प्रारंभ करने के रूप में मनाया जाये तथा प्रत्यंक परिक्षेत्र में भी उसी दिन किसी एक स्थल पर कार्य प्रारंभ करने की कार्यवाही उपरोक्त बिन्दु क्रमांक –2 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार की जाये।

(iv) प्रत्येक परिक्षेत्र में शुभारंभ किये गये लाईन कटाई व जलाई कार्य के कुछ फोटोग्राफ भी खींचकर तत्संबंध की वनमंडल स्तर पर एक छोटी रिपोर्ट तैयार की जाये जो वनसंरक्षक को प्रेषित की जाये। वनसंरक्षक समस्त वनमंडलों से प्राप्त रिपोर्ट का संकलन कर उसकी जानकारी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक के अवलोकनार्थ दिनांक 15 दिसम्बर 2007 तक प्रस्तुत करें।

द्वितीय चरण में वनों में लगने वाली अनियंत्रित आग का पता लगाने हेतु फायर वॉचिंग कैम्पस स्थापित किये जायें, जिसमें तीन व्यक्ति कार्यरत रहेंगे। यह दल दिन रात वनों की तकाई करके और किसी भी अग्नि घटना की जानकारी तत्काल नज़दीकी परिक्षेत्र सहायक अथवा परिक्षेत्राधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। यह कैम्प दिनांक 15 फरवरी 2007 से प्रारंभ होगा तथा 15 जून 2007 तक रहेगा। इसलिये 15 फरवरी 2007 के पूर्व ही कैम्प की स्थापना तथा कैम्प पर रखे जाने वाले दैनिक वेतन पर मजदूरों की पहचान कर ली जाये।

तृतीय चरण में जब किसी वनक्षेत्र में अनियंत्रित आग लगने की घटना की जानकारी प्राप्त होती है तो यह संबंधित परिक्षेत्र सहायक अथवा परिक्षेत्राधिकारी, जिसको की सूचना दी गई है, का दायित्व होगा कि वह आवश्यक संख्या में मजदूर इकट्ठे करके अग्नि को नियंत्रित करे। इन मजदूरों को दैनिक मजदूरी पर रखा जायेगा और इस पर होने वाले व्यय हेतु वनमंडल को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। प्रत्येक अग्नि घटना का पी. ओ. आर. जारी होगा तथा भुगतान प्रमाणक पर इस पी. ओ. आर. की प्रविष्ठि होगी। जिससे ज्ञात हो सके कि अग्नि प्रकरण की सूचना किसने, किसको दी तथा उस पर क्या कार्यवाही हुई व क्या व्यय आया तथा कितने वनक्षेत्र में आग लगी या नुकसानी हुई।

अंतिम चरण में अग्नि सुरक्षा सीजन समाप्त होने के उपरान्त अर्थात 15 जून 2007 के उपरान्त दिनांक 15 जुलाई 2007 के पूर्व प्रत्येक वनसंरक्षक द्वारा मुख्यालय को उनके वृत्त में लगी अग्नि प्रकरणों के संबंध में जानकारी प्रपत्र एफ–1 अनुसार प्रेषित की जावेगी :–

साथ ही निम्नलिखित निर्देशों का भी कड़ाई से पालन किया जावे :—

दैनिक अग्नि सूचना प्रणाली (**Daily fire reporting system**):— प्रत्येक वन मंडलाधिकारी अपने वन मंडल क्षेत्र के अन्तर्गत परिक्षेत्र, सहायक वृत्त, परिक्षेत्र कार्यालय, उप वन मंडल कार्यालय, एवं वन मंडल कार्यालय में स्थापित वायरलेस सेटों एवं वनक्षेत्रों में गठित अग्नि शामक दलों का इस प्रकार प्रभावी उपयोग करे, कि दैनिक अग्नि घटना की सूचना प्रतिदिन वन मंडल कार्यालय में प्राप्त होती रहे।

2. अग्नि प्रबंधन योजना (Fire Management Plan):- वन मंडलाधिकारी अपने वन मंडल का "फायर मेनेजमेन्ट प्लान" वर्ष 2007—08 तैयार करेंगे। जिसमें वन क्षेत्रों को तीन प्रकारों में मानचित्र में प्रदर्शित किया जावें।
   (i) आग के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र — लाल रंग
   (ii) आग के लिए मध्यम संवेदनशील क्षेत्र — पीला रंग
   (iii) आग के लिए अपेक्षाकृत कम संवेदनशील क्षेत्र — नीले रंग

   वन मंडल के मानचित्र में उपरोक्तानुसार रंगों से क्षेत्र दर्शायें जावे तथा ऐसे मानचित्र प्रत्येक परिक्षेत्र में रखे जावे। फायर मैनेजमेन्ट प्लान के अन्तर्गत तीनों प्रकारों में कितना— कितना क्षेत्र वर्गीकृत किया गया है, उपलब्ध अग्नि शामक यंत्र, वायरलेस सेटों की संख्या, दूरभाष का नम्बर, वॉच टावर की स्थिति एवं संख्या, अग्नि शामक दलों की संख्या आदि की जानकारी दी जावें। अग्नि शामक यंत्रों के उपयोग की विधि एवं अग्नि को बुझाने की विधि की जानकारी भी सम्मिलित की जावें। वर्ष 2007—08 के लिए तैयार "फायर मैनेजमेन्ट प्लान" की एक प्रति इस कार्यालय को भेजे। प्रति वर्ष प्रत्येक वन मंडल में अग्नि सीजन प्रारम्भ होने के पूर्व फॉयर मैनेजमेन्ट प्लान बनाया जावेगा।

3. नोडल अधिकारी की नियुक्तिः—प्रत्येक वन मंडलाधिकारी वन मंडल कार्यालय एवं प्रत्येक परिक्षेत्र कार्यालय में किसी कर्मचारी को वर्ष 2007—08 फायर सीजन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। इसी प्रकार एफ.एम.आई.एस. वन मंडल रायपुर अपने कार्यालय में एक "फायर नोडल अधिकारी " नियुक्त करेंगे । नोडल अधिकारी का यह कार्य होगा कि प्रतिदिन फायर रिपोर्ट फिल्ड से प्राप्त कर अपने वरिष्ठ कार्यालय को भेजेगा। रिपोर्टिंग व्यवस्था को सुदृढ़ किया जावे। वनमंडल के नोडल

अधिकारी का यह भी कर्तव्य होगा कि एफ.एम.आई.एस. वन मंडल से प्राप्त सूचना का स्थल सत्यापन रिपोर्ट भी एफ.एफ.आई.एस. वन मंडल को भेजेंगे। नियुक्त नोडल अधिकारी की सूचना इस कार्यालय को भी देवे।

4. अग्नि प्रकोष्ठ (Forest fire cell) वन प्रबंधन सूचना प्रणाली, वन मंडल रायपुर में Forest fire cell का गठन किया जावे। Forest fire cell वन मंडलाधिकारी एफ.एम.आई.एस रायपुर के नियंत्रण में कार्य करेगा। जो समय–समय पर **web mapper** से **active fire** डाटा GIS State data base में ट्रान्सफर कर प्रदेश में वनों में अग्नि की घटनाओं **(Fire occurrence)** की सूचना प्रतिदिन निर्धारित समय पर प्राप्त कर संबंधित वन मंडलों को वायरलेस फैक्स अथवा दूरभाष के माध्यम से तत्काल प्रेषित की जावेगी, जिसमें आग की घटना का समय, अक्षांश एवं देशांश, कक्ष क्रमांक/बीट का नाम/परिक्षेत्र एवं वन मंडल का नाम लिखा होगा। वन मंडलाधिकारी FMIS रायपुर यह सुनिश्चित करेंगे कि आग की घटना की जानकारी प्राप्त करने तथा विभिन्न वन मंडलों को प्रेषित करने एवं वन मंडलों से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो, यदि कोई तकनीकी कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसे तत्काल ठीक करायेंगे।

5. स्थल सत्यापन रिपोर्टः–सभी वन मंडलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वन मंडल रायपुर द्वारा अग्नि घटना होने संबंधी सूचना समय, अक्षांश–देशांश, कक्ष क्रमांक एवं रेंज के विवरण के साथ आपको प्राप्त होती है तो आप ऐसी सूचना का संबंधित परिसर रक्षक एवं परिसर सहायकों/वनपालों अथवा उप वन क्षेत्रपालों से मौके पर सत्यापन करायेंगे तथा स्थल सत्यापन रिपोर्ट वन मंडलधिकारी, वन प्रबंधन सूचना प्रणाली, वन मंडल रायपुर को तीन दिवस के भीतर प्रपत्र एफ–2 में भेजेंगे। आपको ज्ञात होगा कि अग्नि घटना सेटेलाईट द्वारा लिए गए चित्र पर आधारित होती है। अतः उसका मौके पर सत्यापन नियमित रूप से करना आवश्यक है। स्थल सत्यापन के लिए यथा सम्भव वनमंडल में उपलब्ध GPS का उपयोग किया जावे।

वन मंडलाधिकारी, वन प्रबंधन सूचना प्रणाली रायपुर प्रतिमाह अग्नि प्रकरणों की संख्या एवं सत्यापन रिपोर्ट की जानकारी

वनमंडलवार संकलित कर इस कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक भेजना सुनिश्चित् करेंगे।

अनियंत्रित आग की घटना का पी.ओ आर.:— प्रत्येक अनियंत्रित अग्नि घटना का वन अपराध प्रकरण (P.O.R.) पंजीबद्ध किया जाना आवश्यक है। अतः प्रत्येक वन मंडलाधिकारी यह सुनिश्चित् करेंगे कि प्रत्येक अनियंत्रित अग्नि घटना का वन अपराध प्रकरण दर्ज किया जावे, चाहे घटना छोटी हो या बड़ी। चाहे घटना में सूखी घांस— फूस अथवा पत्तियां जली हो, चाहे कोई नुकसान हुआ हो या न हुआ हो, वनक्षेत्र में, वृक्षारोपण में, अथवा कूपों में कोई भी अनियंत्रित अग्नि घटना होने पर (नियंत्रित अग्नि रेखा जलाई को छोड़कर) वन अपराध प्रकरण आवश्यक रूप से दर्ज किया जावें। यदि वन क्षेत्र में आग लगाने वाले अपराधी का नाम ज्ञात होता है तो उसके विरूद्ध तत्काल न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जावें। अनियंत्रित अग्नि से प्रभावित क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जी.पी.एस. का उपयोग किया जावे।

7. अग्नि उपकरणः—प्रत्येक वन मंडल में दिसम्बर 2007 तक की स्थिति में कितनी संख्या में आग बुझाने के उपकरण, जॉकेट इत्यादि उपलब्ध हैं उसकी जानकारी प्रपत्र एफ—3 में दी जावे, साथ ही वित्तीय वर्ष 2007—08 में क्रय किए गए अग्नि शामक यंत्रों/उपकरणों की जानकारी भी दी जावें।

8. अग्नि शामक यंत्रों के उपयोग पर प्रशिक्षणः— प्रत्येक वन मंडल में परिक्षेत्र स्तर पर अग्नि शामक यंत्रों के उपयोग पर वन रक्षकों/ वनपालों /उप वन क्षेत्रपालों एवं वन प्रबंधन समितियों के सदस्यों को एक दिवसीय प्रशिक्षण परिक्षेत्राधिकारी/उपवन मंडलाधिकारी एवं वन मंडलाधिकारियों द्वारा दिया जावें। तथा दिए गए प्रशिक्षण की जानकारी प्रपत्र एफ—4 में इस कार्यालय को दी जावें।

9. प्रचार—प्रसारः—वनों में आग को रोकने हेतु विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार—प्रसार किया जावे। तेन्दूपत्ता शाख कर्तन एवं महुआ संग्रहण के दौरान वनों में आग लगाने की घटनाएं अधिकतर होती है। अतः समस्त वन मंडलाधिकारी यह सुनिश्चित् करेंगे कि वनों में आग की घटना न हो।

10. अग्नि बचाव सप्ताहः—मिजोरम राज्य की तरह छत्तीसगढ़ में भी (Fire Prevention week) "अग्नि बचाव सप्ताह" अथवा "अग्नि जागरूकता

सप्ताह" मनाने का निर्णय लिया गया है। अतः सभी व
मंडलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक व
मार्च से 11 मार्च तक "अग्नि बचाव सप्ताह" का आयोजन
जिसमें ग्रामीण, स्थानीय मीडिया , जन प्रतिनिधि, स्कूल क
छात्र–छात्राएं एवं वन कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित् की जा

11. उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कारः–वनों में आग से सुरक्षा हेतु उत्
करने हेतु वन कर्मचारी, वन प्रबंधन समिति अथवा कुछ व्यक्तियों
जिन्हें किसी क्षेत्र विशेष में आग से बचाने की जिम्मेदारी दी गई
वन मंडल स्तर पर पुरस्कृत किया जावें। ऐसे पुरस्कार हेतु चय
तीन वर्षो के परिणाम के आधार पर किया जावे न कि एक वर्ष के
के आधार पर।

12. अग्नि शामक दलों के साथ समन्वयः–वनों में आग लगने की घ
जानकारी तत्काल प्राप्त करने हेतु वॉच टावरों का उपयोग प्रभा
से किया जावे तथा अग्नि बुझाने वाले दल का सतत् सर्म्पक व
केन्द्रों तथा वॉच टावरों से इस प्रकार बनाया जावे कि आग व
सूचना प्राप्त होने पर आग बुझाने वाला दल तत्काल मौके पर प
आग बुझाए। वन मंडल में उपलब्ध वाहनों का उपयोग प्राथमि
आधार पर अग्निशमन कार्यो में किया जावे। वन मंडल में स्थापि
टावरों की जानकारी प्रपत्र एफ–5 में दी जावे। वाहन का प्र
प्रकार किया जावे कि अग्निशमन दल अग्निशमन उपकरणों
हमेशा आग लगने के स्थान पर जाने के लिए तैयार रहे।

13. विशेष क्षेत्रों में विशेष सुझावः–जिन वन मंडलों में पेंदा खेती
cultivation) एवं पारद प्रथा (सामूहिक शिकार) प्रचलित है
वनमंडलाधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है
वनक्षेत्रों में वनों को आग से बचाने हेतु ग्रामीणों की बैठक ली जा
समझाइश दी जावें।

14. प्रवास के दौरान अग्नि कार्यो का निरीक्षणः–सभी वन संरक्ष
मंडलाधिकारी/उप वन मंडलाधिकारी अपने प्रवास के दौरान
लाईन कटाई/जलाई एवं अन्य अग्नि नियंत्रण कार्यो का निरीक्ष
तथा यह भी सुनिश्चित् करेंगे कि वॉच टावरों एवं अग्नि शामक द
समुचित उपयोग हो रहा है।

हानि का आंकलनः—सामान्यतः वनों में अग्नि से सूखी घास, सूखी पत्तियां एवं घास—फूस जलना बताया जाकर कोई हानि होना नहीं बताया जाता है तथा ऐसा महसूस किया जाता है कि वनों में कोई नुकसान नहीं हो रहा परन्तु पुनः यह बताना आवश्यक समझा जा रहा है कि वनों में अनियंत्रित आग से सम्पूर्ण जैव विविधता नष्ट होती है। जिसका वनों के स्वास्थ्य पर चिन्ताजनक दूरगामी प्रभाव पड़ता है। घास—फूस जलने को जैव विविधता की दृष्टि से एवं औषधि पौधों की हानि की दृष्टि से देखा जावे। वर्तमान में आग के प्रकोप से नष्ट जैव विविधता के नुकसान के ऑकलन हेतु कोई मानदण्ड प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। जिससे सम्पूर्ण जैव विविधता एवं वन भूमि को हुए नुकसान की गणना रूपये में नहीं हो पा रही है। परन्तु इस सत्य से आप जरूर अवगत होगें की सम्पूर्ण जैव विविधता के नष्ट होने से जलवायु पर होने वाले विपरीत प्रभाव बहुत घातक हैं।

16. विशेष प्रशिक्षणः—जिन वन क्षेत्रों में या वन प्रबंध समिति क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं अधिक होती है तथा वृहत वन क्षेत्र आग से प्रभावित होता है उन ग्रामों के ग्रामीणों के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जावे ताकि भविष्य में आग लगने की घटनाएं न हो। जिन ग्रामीणों हेतु विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है इसका निर्णय वन मंडलाधिकारी प्रतिमाह की अग्नि प्रकरणों की समीक्षा करके करेंगे। संबंधित बीट गार्ड एवं परिक्षेत्र सहायकों को कड़ी हिदायत दी जावे।

17. आग बुझाने में तत्परताः—आग की सूचना प्राप्त होने पर बुझाने हेतु तत्परता से अविलम्ब कार्यवाही की जावे। विलम्ब से नुकसान को रोकना सम्भव नहीं होगा।

18. दौरा दैनन्दिनी में प्रविष्टिः—प्रत्येक क्षेत्रीय अधिकारी अपने वन प्रवास के दौरान दौरा दैनन्दिनी में वनों में अग्नि विषय पर अनिवायर्तः टीप अंकित करेंगे।

नोटः—फॉयर से संबंधित प्रपत्र एफ—1, एफ—2, एफ—3,एफ—4 एवं एफ—5 के रूप में दर्शाये गये हैं।

संलग्नः—पांच प्रपत्र।

Kuaus 04.01.08

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक/संरक्षण–2/ 15 रायपुर दिनांक 5/1/ 2008

प्रतिलिपिः–

1. महानिदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (MOEF) नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, वन छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग मंत्रालय डी.के. एस.भवन रायपुर।
3. महालेखाकार, (लेखा एवं लेख परीक्षक) 12/27 रमण मंदिर वार्ड, फाफाडीह चौक, बिलासपुर रोड़, छत्तीसगढ़, रायपुर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़ रायपुर।
5. प्रबंध संचालक, वन विकास निगम, छत्तीसगढ़ रायपुर।
6. प्रबंध संचालक, राज्य लघु वनोपज संघ, छत्तीसगढ़ रायपुर।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़ रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लि. रायपुर

पृ.क./वविनि/का.सं./05/2008/4074 रायपुर, दिनांक 30-01-08

प्रतिलिपि :

1. क्षेत्रीय महाप्रबंधक, रायपुर/बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. समस्त मण्डल प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लि. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया निर्देशों का पालन करते हुए प्रपत्र एफ–1 से एफ–5 की जानकारी समयावधि में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

कार्यकारी संचालक

प्रपत्र एफ–3

अग्निशामक यंत्रों की जानकारी (वार्षिक)

वन मंडल ....वर्ष 2007–08

अ.क्र.	पूर्व से उपलब्ध अग्नि शामक यंत्रों का विवरण एवं नाम	संख्या (नग में)	2007–08 में क्रय किये गये उपकरणों का विवरण व नाम	संख्या (नग में)	योग उपकरण संख्या
1	2	3	4	5	6

प्रपत्र एफ–4

अग्नि प्रशिक्षण (वार्षिक)

वन मंडल .... वर्ष 2007–08

अ. क्र.	परिक्षेत्र का नाम	अग्नि प्रशिक्षण दिनांक	अग्नि प्रशिक्षण स्थल	प्रशिक्षण में उपस्थित ग्रामीणों की संख्या	प्रशिक्षण में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या	कौन–कौन से अग्नि उपकरण दिखाए गये	प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया गया, अधिकारी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र एफ–3

अग्निशामक यंत्रों की जानकारी (वार्षिक)

वन मंडल ....वर्ष 2007–08

अ.क्र.	पूर्व से उपलब्ध अग्नि शामक यंत्रों का विवरण एवं नाम	संख्या (नग में)	2007–08 में क्रय किये गये उपकरणों का विवरण व नाम	संख्या (नग में)	योग उपकरण संख्या
1	2	3	4	5	6

प्रपत्र एफ–4

अग्नि प्रशिक्षण (वार्षिक)

वन मंडल .... वर्ष 2007–08

अ. क्र.	परिक्षेत्र का नाम	अग्नि प्रशिक्षण दिनांक	अग्नि प्रशिक्षण स्थल	प्रशिक्षण में उपस्थित ग्रामीणों की संख्या	प्रशिक्षण में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या	कौन–कौन से अग्नि उपकरण दिखाए गये	प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया गया, अधिकारी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र एफ—5

वॉच टावरों की जानकारी (वार्षिक)

(पूर्व के वॉच टावर एंव 2007—08 मे निर्मित वॉच टावर)

वन मंडल ....वर्ष 2007—08

परिक्षेत्र का नाम	पूर्व के वॉच टावरों की कुल संख्या	पक्के वॉच टावरों की संख्या (सीमेंट कंक्रीट से बने	कक्ष क्र. जहां स्थापित है।	लोहे के बने वॉच टावरों की संख्या	कक्ष क्र. जहां स्थापित है।	2007—08 में निर्मित वॉच टावर पक्का/लोहे (सीमेंट कंक्रीट) का एवं क्रक्ष क्र. की जानकारी देवे	योग वॉच टावर	
							पक्के	लोहे के
1	2	3	4	5	6	7	8	9

टीपः—प्रपत्र एफ—1, एफ— 3, एफ— 4 एवं एफ—5 वार्षिक प्रपत्र हैं इनकी जानकारी अग्नि सीजन समाप्त होने के 15 दिन के अन्दर या 15 जुलाई तक भेजना सुनिश्चित करें। प्रपत्र एफ—2 मासिक है।